

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन,

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0-462003

क्रमांक/एफ-4/41/2022/10-11/4032

भोपाल, दिनांक 31-7-24

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई में 1X660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चर्चाई को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-एमपीआर 009/2022-बीएचओ/1/74142 दिनांक 07.06.2024

-----0-----

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित द्वारा चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

स.क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The User Agency shall submit documents w.r.t. earlier approvals accorded in the years 1963, 1967 and 2006 as shown in KML file.	इस बिन्दु के संबंध में वर्ष 1963, 1967 एवं 2006 में स्वीकृत वनभूमि को KML फाईल में दर्शाते हुये संलग्न की गई है।
2	Component wise breakup of proposed diversion area i.e. 6.171 ha. shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में प्रस्तावित 6.171 हेक्टेयर भूमि का Component wise breakup KML फाईल में दर्शाते हुये संलग्न की गई है।
3	The User Agency shall submit the documents/status of northern part of the project as shown in KML file.	इस बिन्दु के संबंध में Northern part of the project shown in KML file is forest area under the possession of D.F.O. Anuppur को प्रस्तुत की है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-4/41/2022/10-11/4033

भोपाल, दिनांक 31-7-24

प्रतिलिपि:-

- मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
- कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चर्चाई, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक/मा.चि./2024/
प्रति,

1029

अनूपपुर, दिनांक 31/7/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर भोपाल म.प्र.

- विषय :- अनूपपुर जिले के अंतर्गत वन मण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म०प्र० पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/THE/130772/2021)
- संदर्भ :- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6 एम.पी.आर.009/2022-बी.एच.ओ./1/74142 दिनांक 07.06.2024
2- आपका पृ.पत्र क्र./3110 दिनांक 13.06.2024
3- कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग- दो म.प्र.पा.ज.क.लि. चचाई का पृ.क्र./180 दिनांक 14.06.2024

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा प्रकरण में तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 से भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी आपकी ओर प्रेषित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/1030
प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2- कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग- दो म.प्र.पा.ज.क.लि. चचाई अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर
अनूपपुर, दिनांक 31/7/2024

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर



मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग - दो

अमरकंटक ताप विद्युतगृह, चचाई, जिला-अनूपपुर (म0प्र0) 484220

(CIN-U40109MP2001SGC014882)

Mail-cccivil2atps@gmail.com

चचाई दिनांक 14/06/2024

कमांक 001-7300/660 MW.Unit / 180

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर

भोपाल (म.प्र.) - 482003

विषय:- अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमंडल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660MW सुपरकॉण्डक्टिंग इकाई की स्थापना- इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग- 02 म.प्र.पा.ज.क.लि.चचाई को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक/एफ-04/41/2022/10-11/3109 भोपाल दिनांक 13.06.2024.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 6-एम.पी.आर 009/2022- बी एच ओ/1/74142 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

- (1) Regarding the earlier approvals accorded in the year 1963, 1967, and 2006 as shown in KML file and details of forest land (Annexure 1&2) the detail is as below:-
 - (a) In the year 1963 Govt. of M.P. forest department issued the order No. 10737-9397-X dtd. 25.09.1963 regarding ceasing the status of reserve forest of Burhar Khutwa Block No.X for the purpose of constn. of railway siding for Amarkant Thermal Power Station, 24 Acres forest land was considered for disforestation. This is the part (c) of KML file. (Annexure-3)
 - (b) In the year 1967 land Acquisition Officer Shahdol in the case No. 9/ Land-Acq./65/ issued the award on dtd. 14.07.1967. In this Award the Khashra No. 417/1 & 453 was acquired, at the time of acquisition these khasras were forest. These are respectively the part (d&e) of KML file. The copy of award is enclosed herewith. (Annexure 4)
 - (c) In the year 2006 vide the Govt. of India Ministry of Invoirement & Forest Bhopal order No. 6-MPB085/2005-BHO/1057 dtd. 08.06.2006 3.668 Hect. forest land was diverted for the work related to constn. of Extension unit No-5 of 210 MW. of Amarkantak Thermal Power Station. This is the part (f+g+h) of KML file. (Annexure-5)
- (2) The 6.171 Hect. land in required in two components i.e. one part(a) of 2.00 Hect. and part (b) of 4.171 Hect. as shown in the KML file.
- (3) On the northern part of the project shown in KML file is forest area under the possession of D.F.O. Anuppur.

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(आर.के. शर्मा)

कार्य.अभि.(सिविल) निर्माण संभाग-दो
म0प्र0पा0ज0क0लि. चचाई

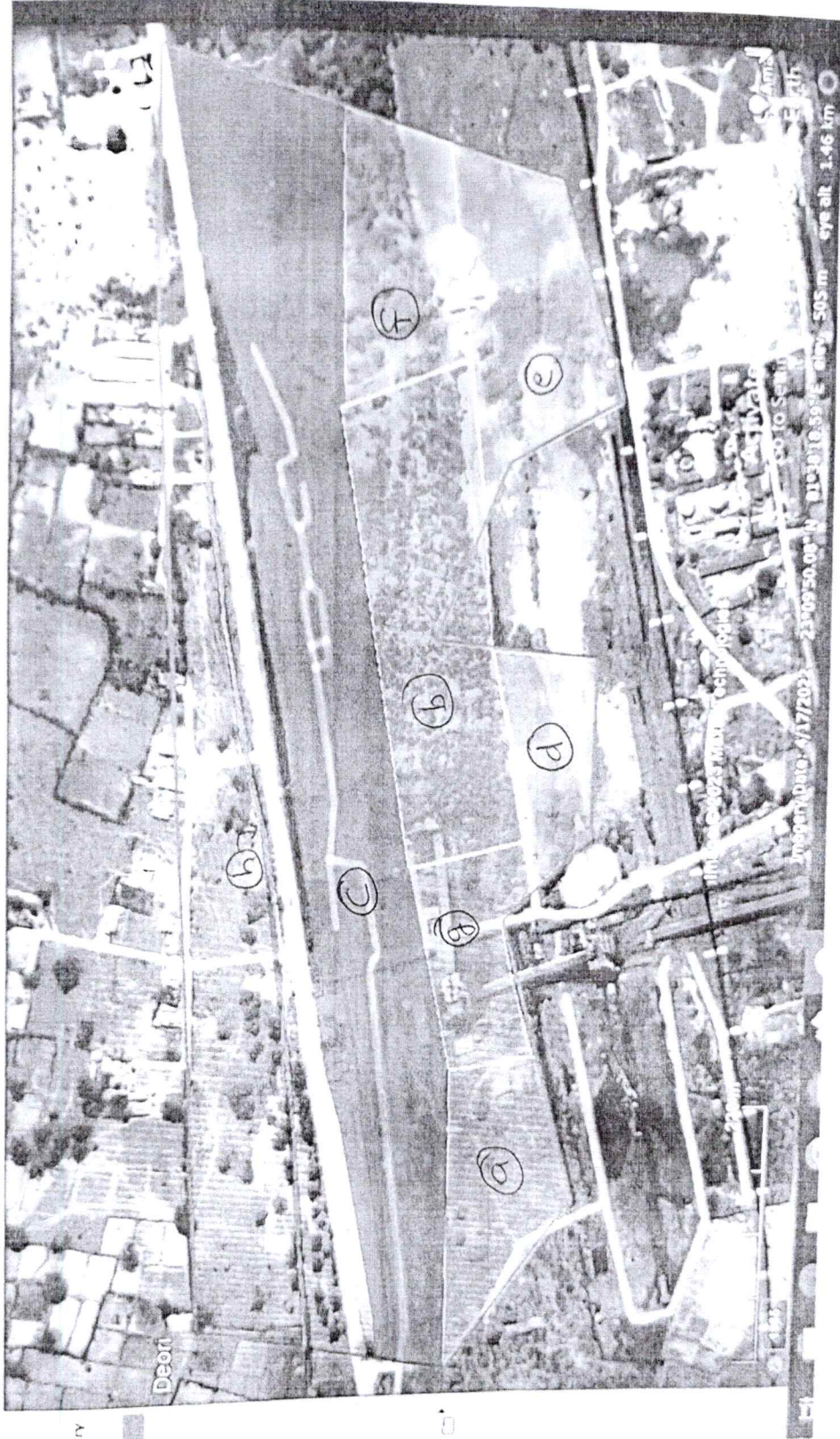
प्रतिलिपि :-

1. तकनीकी अधिकारी (वानिकी) पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक शहडोल वृत्त शहडोल (म.प्र.)
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल अनूपपुर (म.प्र.)
4. मुख्य अभियंता (सिविल-अभि.) म0प्र0पा0ज0क0लि. जबलपुर।
5. मुख्य अभियंता (उत्पा.) अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पा0ज0क0लि. चचाई।
6. अधीक्षण अभियंता (सिविल) अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पा0ज0क0लि. चचाई।

(आर.के.शर्मा)

कार्य.अभि.(सिविल) निर्माण संभाग-दो

KML file of Details of Forest Land already acquired and 6.171 Hect. to be acquired



Get Directions History

Forest land 2 ha required for 1x660 mw
 Forest land 4.171 ha required for 1x660mw
 Forest land 24 acre already acquired in the year 1963
 Forest land 9.22 Acre already acquired in the year 1967
 part 2
 Forest land 3.668 ha already acquired in the year 2006
 part 2
 part 3

Temporary Places
 Chachar_02122023.kml
 My Places

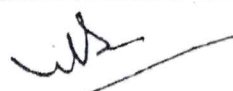
Primary Database
 Annotations
 Borders and Labels
 Places
 Photos
 Roads
 3D Buildings
 Vicinity
 Gallery
 More
 train

Type here to search

8/12/2023

Details of forest land

S.No.	Colour	Nomenclature	Remark
1	Yellow	(a)	2.00 Hectere forest Land required for 1x660 MW
2	Yellow	(b)	4.171 Hectere forest Land required for 1x660 MW
3	Dark Blue	(c)	9.712 Hectere (24 Acre) forest land already acquired in the year 1963
4	Pink	(d) & (e)	3.731 Hectere (9.22 Acre) forest land already acquired in the year 1967 (453(e) 250 417(d))
5	Light Blue	(f) + (g) + (h)	3.668 Hectere forest land already acquired in the year 2006 for 1x210 MW


E.E. (Civil) Constn. Dn. II
ATPS, MPPGCL, Chachai

[Published in Part I of the "Madhya Pradesh Rajpatra", dated the 17th January 1964.]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT

Bhopal, the 25th September 1963.

No. 10757-3397-X.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby directs that the forest area specified in the below, which in notification of Rewa Durbar No. 33, dated the 27th May 1933, was declared to be a reserved forest, shall cease to be a Reserve Forest, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Rajpatra".

SCHEDULE

Division—South Shahdol Division.

District—Shahdol.

Tahsil—Sohagpur.

Range—Budhar.

Name of forest blocks	Comptt. or coupes Nos.	Approximate area in acres	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)
Budhar Reserve Silpari block No. VIII.	Coupe Nos. IV, V, XXII, XIX of Silpari F.S.	77.2	North—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 7 to 20. East—Reserve Forest boundary line between R. F. boundary pillar 176 to disforestation demarcation pillar No. 25. South—Cut line from R.F. boundary pillar No. 176 to disforestation demarcation pillar No. 25. West—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 20 to 25.
Budhar Reserve Silpari block No. VIII.	Coupe No. XXVI of Silpari F.S.	14.8	North—Cut line from disforestation demarcation boundary pillar No. 1 to 3. East—R. F. boundary line. South—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 42 to 44. West—R. F. boundary line between disforestation demarcation pillar No. 12 and 42.
Budhar Reserve Khutwa block No. X.			North—Cut line from R. F. boundary pillar No. 12 to disforestation demarcation pillar No. 6A. East—R. F. boundary line between R. F. boundary pillar No. 12 to disforestation demarcation pillar No. 41. South—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 36 to 41. West—R. F. boundary line between demarcation pillar No. 6 A and 36.

Total .. 116

Brief description

The area contains a crop of sal and its associates of quality IV A. The density is 0.5.

Reasons for disforestation

The area is to be acquired by Thermal Power Station, Amarkantak for construction of Railway siding.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

BRATHMA SWAKUP, Dy. Secy.

GCPD-DF-13-264-50.

न्यायालय भू अर्जन अधिकारी जिला शहडोल म०प०
प्रकरण क्रमांक ६४/२०००

अवार्ड क्रमांक ६४/२०००/६४

भू अर्जन अधिनियम १९६४ की धारा ११ के अन्तर्गत
(दिनांक ०४ जुलाई १९६७)

डिविजनल इंजीनियर एलिक्ट्रिक सिटी बोर्ड चचाई के अनुरोध पर
चचाई थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम चचाईआषाद, खोली, देवरी किल्लोरी,
एवं मेड़ियारास तहसील सोहागपुर के काश्तकारों की भूमि के अर्जन के संबंध में भू अर्जन
अधिनियम १९६४ की धारा ४(२) के अधीन म०प० शासन राजस्व विभाग भोपाल की
अधिसूचना क्रमांक ४५०६।३१७०।सात-सा-१ दिनांक १६-८-६४ को प्रकाशित होने पर
भू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना प्रकाशित किये जाने हेतु शासन से निवेदन
किया गया। धारा ५-अ के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होते। धारा २७
की उपधारा (१) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते।

भू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना क्रमांक ६०१३।३१७०।सात-सा-
२ दिनांक १०-११-६४ से म०प० शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित की
गई। तत्पश्चात् धारा ६ के अन्तर्गत संबंधित काश्तकारों को नोटिस अर्जित की जाने
वाली भूमि के संबंध में आपत्तियां सुनने हेतु दी गई। आपत्तियां लिखित रूप में काश्तकारों
द्वारा प्रस्तुत की गईं जो कि शामिल नहीं हैं। आपत्तियों के अवलोकन करने से
पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा काश्तकार उचित चाहते हैं।

प्रश्नाधीन भूमि की नामों के से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा
की जाकर भूमि का खसरा फार्म १० एवं ११ तैयार किया गया जो कि प्रकरण में
संलग्न है। खसरा व जमाबन्दी के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मिलान अधिसू-
चना धारा ६ में प्रकाशित प्रत्येक खसरे नामों में अर्जित भूमि से किया गया जिससे
पाया गया कि ग्राम चचाई के खसरा नं० ३१७।१-२०, २६१।१।०-२०, २६१।१।०-२०, २६१।३
।०-०६, २१०।०-१४, ३१६।०-७, २६१।०-५६, २६७।०-२१, १०१।०-०४, ३१।१-३४, २५३।०-
३३, ३०७।१-७, २५६।१-१६, १०७।०-४१, २३२।१-६८, ग्राम देवरी के खसरा नं० ४६०।०-२२
४८१।१।०-५३ एवं ग्राम मेड़ियारास के खसरा नं० २३०।१-३६, ५४५।०-३०, ६०१।०-२६
६७६।१-२६, ६१।०-७६, १६६।०-२४, ५७७।०-५३ का प्रकाशन हो चुका है जबकि उपरोक्त
भूमि का अर्जन नहीं होना है।

ग्राम चचाई के खसरा नं० ७२ रकबा १८-०० एकड़, २५८।१५-६३, ८३।७-२८,
२४७।१।१-५० एवं २७५।११-५७ का प्रकाशन अधिसूचना में हुआ लेकिन नाम के अनुसार

जमीन की जामे वाली भूमि का सीरीकरण क्रमः २-८, १३-६३, ४-००, ४-७२, ६-५७ एकड़ है इसमें से खसरा नं० २४७।१ की भूमि ३-२२ एकड़ की अधिसूचना नहीं प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार ग्राम देवरी के खसरा नं० ४१७।२ रकबा १०-०० एकड़ भूमि की भी अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है जबकि उपरोक्त खसरे की भूमि का अर्जन किया गया है। ग्राम मेड़ियारास के खसरा नं० ६१ रकबा ०-७६ एकड़ भूमि का प्रकाशन दो बार अधिसूचना में हुआ है। अतः इस भूमि को निरस्तगी हेतु शासन से निवेदन किया जावे।

प्रश्नाधीन पञ्च अर्जित की जामे वाली भूमि किस्म तालाब, बांध, बहरा, ३, दुमट, ४ गटौर ११ २१ ३१ ४१ भीटा, मेड़ बगार एवं जंगल है। इनमें से किस्म जमीन तालाब भीटा मेड़, पर बन्दोवस्त के कोई शरह रेट लगान कायम नहीं हुआ है तालाब किस्म की भूमि का बांध किस्म की भूमि के अनुसार ही गणना होता है। यानी अच्छी किस्म की भूमि मानी जाती है भीटा व मेड़ बगार के समकक्षा की भूमि है। अतएव तालाब के लगान का शरह रेट ३-०० रुपया व भीटा एवं मेड़ का ०-२५ पैसा प्रति एकड़ के अनुसार लगान कायम किया जाना उचित है और उसी अनुसार मुआवजा भीकाश्तकारों की भूमि का निर्धारित किया जावे। शेष किस्म की भूमियों का शरह रेट लगान बन्दोवस्त से कायम है जिसका विवरण ग्राम वार निम्न प्रकार है।

ग्राम मेड़ियारास:- बांध २-२-२५, बांध ३-१-५०, बहरा ३-२-६२, बहरा ३-२-२५ गटौर १-१-८७, गटौर २-१-१२, गटौर ३-०-७५ गटौर ४-०-३१, बगार ०-२५ पुच ९९ दुमट ३ १-५०, दुमट ४-०-३७

ग्राम बचाई आवाड:- बांध १-८७, बांध ३-१-२५, बहरा २-२५, बहरा ३-१-८७ गटौर १-१-८७, गटौर २ १-२५, गटौर ३-६९०-६२, गटौर ४-०-३१, बगार-२५ दुमट ३-१-२५, दुमट ४-०-३७।

ग्राम देवरी:- बांध १-३-००, बांध २-२-२५, बांध ३-१-५०, बहरा २-२-२५, बहरा ३-१-८७ गटौर १-१-८७, गटौर २-०-६४, गटौर ३-४२, गटौर ४-०-३१, बगार ०-२५, दुमट ३ १-२५, दुमट ४ ०-३७।

ग्राम किल्लहारी:- बांध २ १-८७, बांध ३ १-२५, बहरा २ १-८७, बहरा ३ १-८७, गटौर १ १-३७, गटौर २-०-७५, गटौर ३, ०-३१, गटौर ४ ०-३१ बगार ०-२५, दुमट ३ १-५० दुमट ४ ०-३७

ग्राम खौली:- बगार ०-२५, गटौर २ १-२५, गटौर ३ ०-५०, बांध ३ २-००।

प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा निधारण करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर से ग्राम खौली, देवरी, मेड़ियारास, एवं किल्लहारी में विक्री की गई भूमि सन् १९६३-६४ की द किता की रजिस्टर्ड विक्री नाम की सूची प्राप्त किया जा कि

(३)

५१९-५

प्रकरण में शामिल है, एवं उसी आधार पर भूमि की औसत कीमत आंकी गई, भूमि की औषातन कीमत एक पैसे लगानी भूमि की कीमत ७-२० पैसे आंकी है।

इसके अतिरिक्त पूर्व क्वार्टर का भी अवलोकन किया जिसमें १ आना लगानी भूमि पर ३१-३१ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था यह क्वार्टर सन् १९६२ में दिया गया था, सम्मानुसार भूमि की कीमत पर वृद्धि करना उचित भी है।

काश्तकारों ने अपनी जमीनों को जो सुधारा है, उसका फायदा काश्तकारों को दिया जाना उचित है। अस्तु भूमि की कीमत मौजूदा किसम जमीन के खान के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त सभी बातों को धे नजर रखते हुए भूमि का मुआवजा एक पैसे लगानी भूमि पर ७-२० पैसे के हिसाब से ~~मुआवजा~~ दिया जाना स्वीकार किया जाता है।

काश्तकारों को मुआवजा पत्रक के अनुसार मुआवजा वितरण किया जावे एवं मुआवजा पत्रक के खाना नं० ३ में अंकित काश्तकारों को मुआवजा दिया जावे।

भूमि में स्थित वृक्षों की किसम चार, छिछला, हरशि, महुआ सरई, साजा, जामुन, वंशवजाम है। जिसका कि मूल्यांकन मौके से किये जाने हेतु मौका निरीक्षण किया गया व निम्न रेट से मुआवजा पैड़ों का दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

१- जाम वड़े ८०) छोटे ५०।

२- महुआ ४०), ३- सरई ५) साजा ५) छिछला ३), चार ३), वंश ५) जामुन १०), हरशि १०)

इस प्रकार से कुल २२७-८६ एकड़ भूमि का मुआवजा १२५०४३-६६ रूपया निर्धारित किया जाता है।

डिविजनल इं० म० प्र० इलेक्ट्रिकल सिटी बोर्ड चर्चा को लिखा जावे कि वह मुआवजे की धनराशि १२५०४३-६६ रूपया शीघ्र भेज ताकि काश्तकारों को भूमि के मुआवजे की रकम वितरण की जा सके।

शेष भूमि जिसका कि प्रकाशन अधिसूचना में नहीं हुआ है उस संबंध में म० प्र० शासन से अधिसूचना प्रकाशित क किये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

मु अजीन अफिमानी
वास्ते जिलाध्यक्ष शस्डोल म० प्र०

क्रमांक ६। मू०अ०। ६४

प्रतिलिपि :-

शहडोल, दिनांक

जुलाई १६ ६७

५२७

६३



१- सिविलजल हंजी नियम म०प० ३० वी० चर्चा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जावे । कृपया मुआवजे की धराराशि शीघ्र इसकायालिय में भेजी जावे । ताकि कारश्तकारों को वितरण की जा सकें ।

२- तहसीलदार सोहागपुर को सूचनार्थ । कृपया संबंधित कारश्तकारों को मुआवजे के संबंध में सूचित कराया जाकर तामीली रिपोर्ट भेजें ।

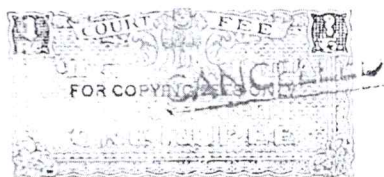
म अर्जन अधिकारी
वास्ते जिलाध्यक्षा शहडोल म०प०

शमर् १३-७



(२)

३	४	४	५	६	७	८
सुखनंदन वहीरा-१-१-खेलावन पिता २०६	गटोर ३	गटोर ३	०-२६	०-३२		
होरालाल कुर्मी						
१-२-समर्थपिता सुखनंदन	५५८	गटोर २	गटोर १	०-५३	०७६६	
सुखनंदन पिता मानवुनी कुर्मी सुद	२१५	वगार	वहारा २	१-२५	३-२७	
जातधारी पिता सुदीन	२१७१ १	वगार	वगार	२-२५	०-५५	
अहीर						
सुदीन पिता वाला गोविन्द	२१८	वगार	वगार	१-४०	०-३७	
अहीर						
रामसन्हाय पिता	२६१	गटोर २	गटोर २	१-१२	१-२५	
रामपदारथ						
शिवचरण कुर्मी	विशालपटेल					
जारावन पिता रघुवर कुर्मी	५३४	गटोर ३	गटोर १	०-३०	०-५६	
१-२-सुखनंदन कुर्मी	५३४			०-६६	१-८५	
मिर्पिता प्यार कुर्मी	६८२	वहारा ३	वहारा ३	०-६५	१-४६	
सुद	६८१ ११७	गटोर ३	गटोर ३	०-१२	०-०६	
रक्ता	-	-	-	०-७७	१-५५	
ल मीजान	६४	रक्ता	-	-	४४-६७	४८-२८



मुआवचा पत्रक ग्राम देवरी तहसील सोहागपुर वास्ते भू अर्जन भूमि

रमभवलिदयत नामकाविज लहरा नं० कि०जमीन कि०सजमीन दो०जो लगान
कारतकार वन्दोवस्त भूजुदा भूमाप्तहुआ

३	४	५	६	७	८
रील -	३६३१ १ न० जाल	गटोर २	४-००	३-७६	
रील -	३६३१ २ न० जाल	वगार	१०-००	२-५०	
	४१७१ १ , ,	गटोर १	१०-५०	१६-६३	
४५०	भीटा	भीटा	०-२६	०-०७	
४५१	तालाव	तालाव	०-५८	१-७४	
४५२	भीटा	भीटा	०-३५	०-०८	
४५३	न०जाल	वगार	८-००	२-००	
६किता	-	-	२६-७२	२६-०८	
मिट्टकोल	४३८	वगार २	वगार	०-७५	०-

नामपत्र प्राप्त हुए: श्रीहरिकृष्ण का क-कौटो पद्मवती (२०१५) ३४ ५ ४८ ६ ३

[illegible]

32-8381
100-805
Safely
Paid
5/13/12



[illegible]



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS



क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं-3/Link Road No. 3
E-5, रविरांकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म.प्र.)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2465054 2463102, 2465496 2466525
Rkkj /Telegram: CENTFOREST
भण्डांक /E-mail: rectfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB085/2005-BHO/1057

14-08-06-2006

प्रति,
प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई में 210 मेगावाट यूनिट क्रमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे० वनभूमि का प्रत्यावर्तन बाबत ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-MPB085/2005-BHO/1923 दिनांक 22-9-2005
2. मु०व०सं०(भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-4/14/2005/10-11/विद्युत/1067 दिनांक 26/05/06

महोदय,
कृपया मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4-14/21/2005/10-11/विद्युत/2075 दिनांक 12-08-2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।
उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई में 210 मेगावाट यूनिट क्रमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे० वनभूमि का वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर जिला-अनूपपुर, तहसील-अनूपपुर के ग्राम-बर्चाई आवाद के पटवारी हल्का केल्लोरी नं० 46 के खसरा क्रमांक 230, 231, 232, 247/182, 248, 249 व 260 में 3.670 हे० गैर वनभूमि पर इस आदेश के जारी होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किया जायेगा ।

इस गैरवनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

KARTIK/APP/ORDER/OTHERS

(स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर का पुनरीक्षण(Revision) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है। उपयोगकर्ता अभिकरण से इस आशय का एक वचनपत्र(Undertaking) लिया जाए कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर के उर्ध्वगामी/उर्ध्वमुखी (Upward) पुनरीक्षण की स्थिति में, उसे उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जायेगा।
4. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि कैम्पा (CAMP) को हस्तांतरित की जायेगी। जब तक इस सम्बन्ध में उपयुक्त लेखाशीर्ष को संसूचित (Communicate) किया जाये तब तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 22/03/2004 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार) उक्त निधियाँ संबंधित वनमण्डलाधिकारी या नोडल अधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी। Net Present Value हेतु उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।
5. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति लेने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(सुजाय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफओसीओ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीओजीओओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता(सिविल), निर्माण संभाग, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल चचाई, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
5. आदेश पत्रावली।

(सुजाय बैनर्जी)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)